# मध्य प्रदेश शासन
# वित्त विभाग
## (संचालनालय संस्थागत वित्त)
## मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.एफ.1/22/2013/पीएमयू-1246 भोपाल, दिनांक 30 मई, 2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषयः- वित्तीय/तकनीकी विदेशी सहायता हेतु विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने बाबत्।

संदर्भः- 1. वित्त विभाग का आदेश क्र. एफ.17-2/96/आई.एफ./चार दिनांक 24-02-96 एवं संचालनालय संस्थागत वित्त का ज्ञाप क्र. एफ. 1/22/2013/पीएमयू-908 दिनांक 19-03-2013

=0=

राज्य शासन के आदेश क्र. एफ.17-2/96/आई.एफ./चार दिनांक 24-02-96 से वित्त विभाग के अधीन संचालनालय संस्थागत वित्त में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के लिये परियोजना प्रबंध इकाई का गठन किया गया है। साथ ही संचालक, संस्थागत वित्त को बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर समन्वय हेतु नोडल अधिकारी भी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के सचिवालय का दायित्व भी परियोजना प्रबंध इकाई को सौंपा गया है।

2. यह तथ्य ध्यान में आया है कि राज्य शासन के विभागों द्वारा बाह्य वित्त पोषण हेतु सीधे विदेशी वित्त पोषण संस्थाओं से परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु चर्चा की जाना, प्रस्ताव प्रेषित करना आदि का कार्य किया जाता है, जो निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रोटोकाल के अनुरूप नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार तथा विदेशी वित्त पोषण संस्थाओं के साथ समन्वय करने में कठिनाई होती है।

3. यह भी ध्यान में आया है कि विदेशी सहायता से क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं हेतु समय-समय पर आने वाले मिशन की सूचना वित्त पोषित करने वाली संस्था एवं संबंधित विभाग/क्रियान्वयन इकाई द्वारा नहीं दी जाती है। जिससे मिशन के प्रदेश प्रवास तथा परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु भी समेकित रूप से कार्यवाही नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण संस्थावार सामयिक समीक्षा भी की जाती है तथा समीक्षा के दौरान कई ऐसे बिन्दु भी भारत सरकार/वित्त पोषण संस्था द्वारा चर्चा में लिये जाते हैं जिनसे परियोजना प्रबंध इकाई के अनभिज्ञ होने के कारण समीक्षा बैठक में राज्य शासन का पक्ष रखने में भी कठिनाई होती है।

4. अतः, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी वित्त पोषण संस्थाओं से किसी भी परियोजना हेतु तकनीकी/वित्तीय सहयोग हेतु चर्चा करने के पूर्व ऐसे प्रस्ताव पर परियोजना प्रबंध इकाई के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। साथ ही विदेशी सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं हेतु समय–समय पर प्रदेश प्रवास पर आने वाले विभिन्न मिशन की सूचना परियोजना प्रबंध इकाई को भी दी जाय।

संलग्नः–उक्तानुसार।

1.6.2013

(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्रः क्रःएफ.1/22/2013/पीएमयू–1745
भोपाल, दिनांक 30 मई, 2013 1.6.

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश के समस्त निगम/मण्डल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1.6.2013

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त